न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.32/अपील/2021 (GCMS No. 2021/57)	09.03.2021	02.08.2024

1. भवरीबाई बेवा राजिया जाति भील, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. फोरिया आ. स्व. राजिया जाति भील, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
3. काल्या आ. स्व. राजिया जाति भील, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. सावरा आ. स्व. राजिया जाति भील, निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री नवेद केसर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 26.03.1993 ग्राम पराना से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण जिला कलक्टर बून्दी के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका में क्रमांक 32/2021 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2021/57 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तक्र प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा सं. 218/331 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं. 272/347 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पराना तहसील तालेडा में स्थित है जो स्वर्गीय राजिया आ. केल्या को आवंटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। जिस पर राजिया काबिज काश्त होकर बहैसियत मालिक काश्त करता आ रहा था। राजिया की मृत्यु के बाद से उसके वारिसान अपीलांटस उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है और मौजूदा समय में भी अपीलांटस ही काबिज काश्त है। स्व0 राजिया ने उक्त कृषि भूमि पर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 बून्दी से ऋण प्राप्त किया हुआ था। गैर खातेदार राजिया की सन् 1991 में मृत्यु होने के बाद अपीलांटस द्वारा दिनांक 04.02.2021 को जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 बून्दी में सूद सहित जमा करवाया जाने पर रसीद संख्या 281 प्राप्त हुई। इसी दौरान दिनांक 04.02.2021 को बैंक द्वारा अपीलांटस को बताया गया कि स्व. राजिया की गैर खातेदारी की उक्त भूमि को तहसीलदार बून्दी द्वारा सिवायचक घोषित कर दिया गया है। तब दस्तावेजात हासिल करने के लिए आवेदन पेश किया गया तथा दिनांक 10.02.2021 को अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण से संबंधित नकले मिली। अपीलांटस आदिवासी भील तथा अनपढ होने से विधिक सलाह लेकर अपील पेश की गई। तहसीलदार बून्दी द्वारा दिनांक 26.03.1993 को सिवायचक किये जाने से लेकर दिनांक 10.02.2021 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने की अवधि माफ किया जाकर अपीलांट को जानकारी तिथि से ही अपील को मियाद अन्दर माना जावे। अभिभाषक अपीलांटस ने अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 26.03.1993 निरस्त फरमाकर राजस्व जमाबंदी में स्व. राजिया आ. केल्या भील निवासी डाबी के वारिसान अपीलांटस का नाम पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही है। अपीलांटस द्वारा पेश यह अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण जिला कलक्टर बून्दी के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया, जो उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपील का परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब अवधि का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम पराना में विस्थित आराजी खसरा सं. 218/331 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा सं. 272/347 रकबा 6 बीघा 07 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा राजिया वल्द केल्या कौम भील की गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। जिसके संबंध में जिला कलक्टर बून्दी के आदेश कमांक 2339/रीडर/92 दिनांक 23.09.1992 की पालना में नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 26.03.1993 से उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज रेकार्ड किया गया। जिसके संबंध में अपीलांटस द्वारा आपत्ति प्रकट कर उक्त नामान्तकरण निरस्त कर उक्त आराजी पुनः अपीलांटस के पक्ष में दर्ज रेकार्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिला कलक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 23.09.1992 की पालना में नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किया गया है, यदि अपीलांटस को जिला कलक्टर बून्दी के उक्त आदेश से नाइत्तेफाकी है तो अपीलांटस द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर राहत प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय का मूल आदेश नहीं होने से उसके विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के तहत अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर बून्दी के आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 174 तस्दीक किया गया, जिसमें कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्टस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी